संoसंo–16 / सी.1–87 / 2024 – 1180 (अ. नि.)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

शम्भू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार, (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा :– **वित्त विभाग।**

पटना, दिनांक – 24.7.2026

विषय :– **CWJC No-12329/2024 मनोज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, CWJC No- 11951/2025 पप्पु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन तथा CWJC No-7270/2025 सुजीत कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संदर्भ में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के 25 एवं आयुष फिजिशियन (होमियोपैथ) के 01 पद अर्थात् कुल 26(छब्बीस) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन के संबंध में।**

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओ की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो एव अन्य पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की अत्यंत पिछडे वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर दर्ज तांती (ततवा) जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सख्या–18802/2017 डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एव अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक मे सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–12679 दिनांक–09.08.2024 (गजट में प्रकाशित दिनाक–12.08 2024) द्वारा राज्य सरकार के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07 2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) को निरस्त करते हुए तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछडा वर्ग मे शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसके आलोक में ताती (ततवा) जाति को राज्य के अधीन अत्यत पिछडा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाऍ पूर्व की भांति अनुमान्य होगी तथा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछडे वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक 33 पर तांती (ततवा) जाति को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया गया है।

F \PC Data\Anil\Annuji\Letter docx

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12679 दिनांक–09.08.2024 (गजट में प्रकाशित दिनांक–12.08.2024) के अनुसार संकल्प संख्या–9532 के निर्गत तिथि 01.07.2015 से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश की तिथि दिनांक–15.07.2024 के बीच तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जिनकी राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्ति हुई है, की सेवा बहाल/बरकरार रखते हुए इसे अनुसूचित जाति कोटि से अत्यंत पिछडा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह भी प्रावधानित किया गया है कि उक्त के पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की मूल भावना को दृष्टिपथ रखते हुए अत्यंत पिछडा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किए गए कुल कर्मियों को समायोजित करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में अत्यंत पिछडा वर्ग कोटि हेतु संबधित विभागों में समरूप पदों के लिए Supernumerary Post/Shadow Post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किए जाने का निदेश दिया गया है।

4 CWJC No- 12329/2024 मनोज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, CWJC No- 7270/2025 सुजीत कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा CWJC No- 11951/2025 पप्पु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य विज्ञापन संख्या–06/2020 होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी एव 07/2020 आयुष फिजिशियन (होमियोपैथ) में अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न रिक्ति के विरूद्ध चयन करने हेतु वाद दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CWJC No- 12329/2024 मनोज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा CWJC No- 11951/2025 पप्पु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश मे याचिकाकत्ताओं को प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष अभ्यावेदन समर्पित करने एवं प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को 90 दिनों के अन्दर इस संबंध में सकारण आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

5. उल्लखेनिय है कि उक्त तीनों वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील सख्या–18802/2017 डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या– 18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश से आच्छादित है। वादी मनोज कुमार एवं पप्पु कुमार के द्वारा सबंधित मामले में अवमाननावाद भी दायर किया गया है।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सख्या–12679 दिनाक–12.08.2024 द्वारा प्रावधानित किया गया है कि तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि के विरुद्ध कार्यरत है, के अत्यत पिछडा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति के विरुद्ध अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत पदों को भरने हेतु बैकलॉग के रूप में विभागवार यथास्थिति विशेष भर्ती अभियान की कार्रवाई की जाएगी।

7. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–20251 दिनांक–18 12.2024 द्वारा वर्णित अवधि (01.07 2015 से 15.07 2024 तक) में वैसे कर्मी/ पदाधिकारी–जो राज्याधीन सेवाओं मे अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्त हो कर वर्तमान में कार्यरत हैं– उन सभी से उनकी जाति के संबंध में प्रशासी विभाग के द्वारा विहित प्रपत्र मे स्व–घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया है। उस आधार पर विनिश्चय किया जाएगा कि

तांती (ततवा) जाति के कौन–कौन कर्मी, अनुसूचित जाति की रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त हुए है।

8. पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–20251 दिनांक–18.12.2024 से प्रशासी विभाग के द्वारा स्व–घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्राप्त कर तांती (ततवा) जाति के चिन्हित कर्मियों/पदाधिकारियों के अत्यन्त पिछडा वर्ग कोटि में स्थानान्तरण के फलस्वरूप अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न रिक्ति के विरूद्ध सुसंगत विज्ञापन के अन्तर्गत शेष अनुसूचित जाति की संधारित प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग को समुचित अधियाचना प्रस्ताव भेजने का भी निदेश दिया गया है।

9. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No- 12329/2024 मनोज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्राप्त Representation के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–10200 दिनांक–04.06.2025, पत्र संख्या–16754, दिनांक–08.09.2025 एवं पत्रांक–17198 दिनांक–11.09.2025 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ज्ञापांक–1462 दिनांक–13.05.2025 के क्रम मे अग्रेतर कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के स्तर से अपेक्षित बताया गया। तदालोक में विभाग द्वारा विज्ञापन संख्या 06/2020 एव 07/2020 के तहत् अनुसूचित जाति कोटि में नियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों से स्व–घोषणा पत्र/शपथ–पत्र उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों को निदेशित किया गया, जिसके आलोक में स्व–घोषणा पत्र/शपथ–पत्र प्राप्त हुआ है।

10 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संगत पत्रो से प्राप्त निदेश एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा सूचित स्थिति के आलोक में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्त तांती (ततवा) समुदाय के विज्ञापन संख्या– 06/2020 होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के 25 एवं 07/2020 आयुष फिजिशियन (होमियोपैथ) के 01, कुल 26 अनुशंसित एव नियुक्त हैं।

11. वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि विज्ञापन संख्या–06 एवं 07/2020 से अनुशंसित एवं नियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों/फिजिशियनों में से कुल 26 होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी/फिजिशियन ऐसे है, जिनकी नियुक्ति अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटि के तहत हुई है तथा ये तांती (ततवा) समुदाय के है।

12 उपरोक्त के आलोक में होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के 25 एव आयुष फिजिशियन(होमियोपैथ) के 01 अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12679 दिनांक–09.08.2024 (गजट में प्रकाशित दिनांक–12.08.2024) के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति के स्थान पर अत्यंत पिछडा वर्ग का मानते हुए उन्हें आरक्षण कोटि अत्यंत पिछडा वर्ग में स्थानान्तरित किये जाने तथा इनके अत्यंत पिछडा वर्ग में स्थानान्तरण के फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक– 20251 दिनांक–18.12.2024 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न रिक्ति (26 पदों) के विरूद्ध सुसंगत विज्ञापन के अन्तर्गत शेष अनुसूचित जाति की संधारित प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति हेतु संबधित आयोग (बिहार तकनीकी सेवा आयोग) को समुचित अधियाचना प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग याचिकाकर्ताओं सहित प्रतीक्षा सूची के सभी सुयोग्य उम्मीदवारों पर विचारोपरान्त अपनी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करा दी गई है, जिसपर नियुक्ति की कार्रवाई किया जाना है।

13. अतः CWJC No-12329/2024 मनोज कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, CWJC No-11951/2025 पप्पु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन तथा दायर CWJC No-7270/2025 सुजीत कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के संदर्भ मे अत्यंत पिछडा वर्ग में होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के 25 एवं आयुष फिजिशियन (होमियोपैथ) के 01 पद अर्थात कुल 26 (छब्बीस) अधिसंख्य पदों (Supernumerary Post) के सृजन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	पदनाम	ग्रेड पे	वेतनस्तर	पदों की संख्या
1	होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी,	5400	9	25
2	आयुष फिजिशियन (होमियोपैथ)	5400	9	01
कुल				26

14. सृजित किये जाने वाले कुल 26 (छब्बीस) पदों पर 3,12,80,496/-(तीन करोड बारह लाख अस्सी हजार चार सौ छियानवे) रूपये वार्षिक व्यय का अनुमान है।

15. यह राशि व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-अन्य चिकित्सा पद्धतियॉ- 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, अन्य प्रणालियाँ, 101 -आयुर्वेदिक-0001 देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय विपत्र कोड-20- 2210021010001 अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

16 राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

17. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

18. उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति (वित्त विभाग) की दिनांक-02.02.2026 की बैठक की कार्यवाही की क्रम संख्या-9 एवं मंत्रिपरिषद की बैठक दिनाक-20.07.2026 में मद संख्या--07 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(शम्भू शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-16/सी.1-87/2024 - 1180 - (आ०चि०)/पटना, दिनांक - 24.7.2026

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-20.07 2026 की बैठक के मद सं0-07 के आलोक मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई- गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) बिहार, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

F \PC Data\Anil\Annuji\Letter docx

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख(प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/निदेशक, आयुर्वेद, होमियापैथी, यूनानी/मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य औषधीय पादप बोर्ड, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–07 एवं 16 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/प्रबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषध निर्माणशाला, पटना/अनुसधान पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई, पटना/उपाधीक्षक, दस शय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

F \PC Data\Anil\Annuji\Letter docx